15.01.2018

पत्रावली पेश हुयी।

पुकार पर अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

सी0पी0 695 दिनेश कुमार यादव की साक्ष्य बतौर पी0डब्लू0–1 अंकित की गयी।

अभियुक्त बब्लू के विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र, कार्यवाही अन्तगर्त धारा 82 व 83 दं0प्र0सं0 की पूर्व में हो चुकी है। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया जा चुका है। कार्यवाही अन्तर्गत धारा 299 दं0प्र0सं0 हेतु नियत की गयी जिसपर अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियेाजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त की अनुपस्थिति में बयान साक्षी पी0डब्लू0–1 सी0पी0 695 दिनेश कुमार यादव, को परीक्षित कराया।

धारा–299 दं0प्र0सं0 में उपबन्धित है कि न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्षियों की (यदि कोई हो), उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर, उस अपराध की जॉच या विचारण में, जिसका उस पर आरोप है, उसके विरूद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है। इस धारा की भाषा से यह स्पष्ट है कि वह न्यायालय, जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही अभिलिखित करता है, उसे सबसे पहले यह आदेश अभिलिखित करना ही चाहिए कि उसकी राय में यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त फरार हो गया है और उसके तुरन्त गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना नहीं है। न्यायालय तब इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए आबद्ध होता है। सक्षम न्यायालय द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था और उसके तुरन्त गिरफ्तार होने की कोई सम्भावना नहीं थी, उस प्रभाव का निष्कर्ष मात्र न अभिलिखित किए जाने से धारा 299 के अधीन कार्यवाही दूषित नहीं हो जायगी।

उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध विशेष सत्र परीक्षण संख्या–20002 सन् 2000, सरकार बनाम बब्लू मुकदमा अपराध संख्या–137 सन् 99, धारा–384,286 आई.पी.सी. व 2/3गैगेस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर में स्थाई गैर जमानती अधिपत्र जारी किया जाता है। अभियुक्त की उपस्थिति में उनके विरूद्ध पत्रावली पर आई साक्ष्य गवाह पी0डब्लू0–1, को पढा जावेगा। स्थाई गैर जमानती अधिपत्र की प्रति संबंधित थाने को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या–1

फतेहपुर।